Fellowship Amount for Research Scholars of ICSSR

5686. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that prior to April, 1994 the fellowship amount for research scholars of both Indian Council of Social Science Research (ICSSR) and University Grants Commission (UGC) was the same;

(b) if so, whether it is a fact that UGC has increased the fellowship amount paid by it from April, 1994 onwards;

(c) whether the similar change has been effected in the amount of fellowship being paid by ICSSR;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) by when it is likely to be implemented in ICSSR as well?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION & DEPTT. OF CULTURE) (KM. SEUA): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) to (e) The ICSSR's proposal regarding revision of fellowship amount of ICSSR Junior Research Fellow has been agreed to by the Government subject to the condition that the qualifications and eligibility conditions for ICSSR fellowships would remain the same as those of UGC fellowships. The revised rate of fellowship would come into effect from 01.04.1995.

Poor Maintenance of Art Works in Santiniketan

5687. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints about the poor maintenance and preservation of the art works of Ramkinkar in Santiniketan; and

(b) if so, the details thereof and action taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION & DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) and (b) According to the information furnished by Visva-Bharati, the University has not received any complaints about the poor maintenance and preservation of the works of art of the late Ram Kinkar in Santiniketan. As a matter of fact, the University has organised maintenance and preservation work done to these works of art under the guidance of some specialists who were invited from Lucknow for the purpose. The University had also requested an eminent Conservation Consultant to carry out an inspection of the works of art in question and submit a report. The Report of the Consultant has been received and the University has started action on the lines suggested by the Consultant.

शिमला स्थित इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडी को दिये गए अनुदान

5688. श्री शंकर दयाल सिंहः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शिमला स्थित इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडी को कितनी राशि के अनुदान दिये गए हैं और उन मदों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ये अनुदान दिये गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त संस्थान में किन-किन लोगों ने शोध कार्य किया और उन्हें इस प्रयोजन के लिए कितनी-कितनी राशि दी है;

(ग) क्या यह सच है कि जिन लोगों का वहां उच्चतर शोध कार्य हेतु चयन किया जाता है, उनके ऊपर पक्षपात का आरोप है; और

(घ) क्या सरकार ने कभी इस इंस्टीट्यूट की उच्च स्तरीय दल से जांच करवाई है, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उपमंत्री) (कु० शैलजा): (क) सरकार मानविकी, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, समाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और समय-समय पर इस संस्थान द्वारा निर्णय लिए गए ऐसे अन्य क्षेत्रों के चुने हुए विषयों में अनुसंधान को प्रोन्नत करने के लिए इस संस्थान को अनुदान संस्वीकृत करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संस्थान को प्रदत्त निधियों का विवरण निम्नवत् है:—

(रु० लाखों में)

वर्ष	योजनागत	योजनेत्तर
1992-93	39.99	119.94
1993-94	35.00	134.69
1994-95	69.99	157.83

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान शिक्षावृत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम और उनमें से प्रत्येक को संस्वीकृत की गई राशि का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट-173, अनुपत्र सं० 125]

(ग) जी, नहीं। अध्येताओं का चयन तीन विभिन्न समितियों द्वारा किया जाता है, जो संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं।

(घ) सरकार ने इस संस्थान के कार्यों की समीक्षा करने के लिए 1978 में ए० के० दास गुप्ता समिति और 1980 में कृष्णा कृपलानी समिति नियुक्त की। इसके अतिरिक्त इस संस्थान के शासी निकाय के कार्य निष्पादन की समीक्षा (i) सी० डी० देशमुख समिति (1968), (ii) तथ्य खोजी समिति (1987), (iii) समीक्षा समिति (1991) और (iv) कार्यनिष्पादन लेखा समिति (1994) जैसी विभिन्न समितियों द्वारा की गई।

आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को लाभ

5689. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 23 दिसम्बर, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2795 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं को दिये जाने वाले लाभों के विवरण के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुदेश संहिताबद्ध न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) राजभाषा आयोग में भिन्न-भिन्न भाषाओं के नियुक्त किये गए प्रतिनिधियों का भाषा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए निर्धारित की गई राशि का भाषा-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उप मंत्री) (कु० सैलजा): (क) गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को दिए जाने वाले लाभों के ब्यौरों के संबंध में कोई अनुदेश वर्गीकृत नहीं किए गए हैं क्योंकि संविधान के सम्बंधित अनुच्छेदों में जो उल्लेख किया गया है संविधान में उससे परे किन्हीं ऐसे लाभों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ख) गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस समय कोई राजभाषा आयोग विद्यमान नहीं है। अनुच्छेद-344 के अधीन नियुक्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में प्रस्तुत कर दिया था और दस वर्षों की समाप्ति के बाद, किसी आयोग को नियुक्त करना अनिवार्य नहीं समझा गया था।

(ग) आधुनिक भारतीय भाषाओं सम्बंधी योजना के बारे में आबंटन:—

1994-95

(लाख रुपयें में)

	आयोजना	योजनेत्तर
(1) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान और उसके क्षेत्रीय केन्द्र	90.00	249.00
(2) विश्वविद्यालय स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने की योजना	—	10.00